

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 22, बुधवार शाके 1941—जून 12, 2019 Jyaistha 22, Wednesday, Śaka 1941—June 12, 2019	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 2019

संख्या प.8(ग)(ठोस अपशिष्ट)नियम/डीएलबी/19/ :-राज्य की नगरपालिकाओं द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विरचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के नियम 15 के खण्ड (e), (f), (Zf) एवं (Zg) के उपखण्ड (ix) के अंतर्गत उपविधियां विरचित नहीं की गई हैं अतः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 सपठित राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 की उप-धारा (4), धारा 339 और 340 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर निगम/परिषद/पालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ, जनहित में राज्य सरकार एतद् द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित उपविधियाँ बनाती है, अर्थात् :-

- सक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :- (i) ये उपविधियां राजस्थान नगरपालिका (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन) उपविधियाँ, 2019 कहलायेगी।
(ii) ये उपविधियाँ राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- लागू होना :- ये उपविधियां राज्य की समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका के सम्पूर्ण मास्टर प्लान सीमा क्षेत्र में प्रभावशाली होगी।
- परिभाषाएँ :- (1) इन उप-विधियों में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अभिप्रेत न हो,-
(i) “वातजीवी कम्पोस्टीकरण” (Aerobic Composting) से ऑक्सीजन की विद्यमानता में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अंतर्वलित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है।
(ii). “एजेन्सी/एजेन्ट” (Agency/Agent) से कोई व्यक्ति/फर्म जो नगर निगम/परिषद/पालिका द्वारा आधिकृत की जाकर निकाय के कर्तव्यों को निर्वहन जैसे स्ट्रीट स्वपिंग, कचरे का संग्रहण व यूजर चार्ज / फाइन का संग्रहण करने हेतु अधिकृत की गई हो।
(iii)“अवायुजीवी उपचारण” (Anerobic digestion) से आक्सीजन के अभाव में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अंतर्वलित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;
(iv)“प्राधिकार” (Authorisation) से यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किसी प्रसुविधा के प्रचालक या शहरी स्थानीय प्राधिकरण या ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्रण और निपटान के उत्तरदायी किसी अन्य अभिकरण को दी गई अनुज्ञा अभिप्रेत है.
(v) जैविक रूप से अपघटित अपशिष्ट “ (Bio- degradable waste) से कोई ऐसी कार्बनिक सामग्री अभिप्रेत है जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर टिकाऊ सम्मिश्रण में निम्नीकृत किया जा सकता है.

(vi) “जैविक मिथेनीकरण” (**Bio- methanation**) से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें मिथेन से भरपूर जैव गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीवी क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ को इंजाइमी अपघटन को अपरिहार्य बनाता है।

(vii) “ब्रांडस्वामी “ (**Brand owner**) से कोई व्यक्ति या कंपनी अभिप्रेत है जो किसी रजिस्ट्रीकृत ब्रांड लेवल के अधीन कोई वाणिज्यिक विक्रय करता है।

(viii) “मध्यवर्ती परिक्षेत्र “ (**Buffer zone**) से ऐसा विकास रहित परिक्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें 5 टीपीडी से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा के चारों ओर अनुरक्षित किया जाएगा। इसे ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण तथा निपटान तथा निपटान संबंधी सुविधा के लिए आवंटित कुल क्षेत्र के भीतर अनुरक्षित किया जाएगा।

(ix) “भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पादक” (**bulk waste generation**) से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत औसतन 100 कि.ग्रा. प्रतिदिन की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते हैं तथा इनसे केन्द्रीय सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, राज्य सरकार के विभागों या उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावाओं, होटलों वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन भी है।

(x) “ज्वलनशील अपशिष्ट (**Combustible waste**) से प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि जैसी क्लोरोनीकृत सामग्री को छोड़कर गैर-जैव अवक्रमणीय, गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-पुनःउपभोज्य, गैर-परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट अभिप्रेत है जिनका 1500 किलो कैलोरी प्रति कि.ग्रा. से न्युनतम कैलोरिफिक मान हो।

(xi) “इकठठा करना”; (**Collection**) से नगरीय ठोस अपशिष्ट को कलेक्शन हेतु निर्धारित स्थलों से/ अन्यस्थलों से इकठठा करना/उठाना।

(xii) “स्त्रोत पर इकठठा करना” (**Collection at Source**) से नगरीय ठोस अपशिष्ट का स्त्रोत (घर-मकान-सोसायटी-टाउनशीट) से इकठठा करना (point to point collection)।

(xiii) “कम्पोस्टीकरण” (**Composting**) से जैविक पदार्थ का सूक्ष्मजीवी अपघटन अंतर्वलित की एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है।

(xiv) “कन्स्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन वेस्ट” (**Construction and Demolition waste**) से निमाण सामग्री का अपशिष्ट, डेब्रीज व डिमोलिशन से निकाला मलवा इत्यादि।

(xv) “ठेकेदार” (**Contractor**) से ऐसा व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है जो कोई सेवा करने के लिए या सेवा प्रदाता प्राधिकारी के लिए कार्य करने के लिए सामग्री या श्रम प्रदान करने की संविदा करता है या करती है।

(xvi) “डिलिवरी” (**Delivery**) से नगरीय निकाय अथवा नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अपशिष्ट देना।

(xvii) “सह प्रसंस्करण “ (**Co-processing**) से प्राकृतिक खनिज संसाधनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाष्म ईंधनों को प्रतिस्थापित करने या उन्हें अनुपूरित, दोनों को करने के लिए कचड़ी सामग्री के रूप में या ऊर्जा के स्त्रोत के रूप में 1500 किलो कैलोरी से अधिक कैलोरिफिक मूल्य वाले गैर-जैव अवक्रमणीय और गैर-पुनर्चक्रणीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग अभिप्रेत है।

(xviii) “विकेंद्रित प्रसंस्करण (**De-centralized processing** से जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों की प्रतिप्राप्ति करना अभिप्रेत है ताकि प्रसंस्करणया निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े।

(xix) “निपटान” (**Disposal**) से भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण के उपरांत अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा करकट और सतही नाले की गाद का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान अभिप्रेत है।

(xx) “घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट “ (**Domestic hazardous waste**) से घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक अपशिष्ट जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सीएफएल बल्ब, ट्यूब लाइटें अवधि समाप्त औषधियों, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर प्रयुक्त बैटरियां, प्रयुक्त सूइया, तथा सिरिज और संदूषित पट्टियां आदि अभिप्रेत है;

(xxi) “द्वार-द्वार संग्रहण” (**Door to door collection**) से घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरो से द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अंतर्गत किसी आवासीय सोसायटी, द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना भी अभिप्रेत है;

(xxii) “द्वार-द्वार संग्रहण हेतु साधन/वाहन” (**Equipment/Vehicle for Door to door collection of municipal solid waste**) से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के अन्तर्गत साधन/वाहन जैसे कन्टेनराइड व्हील वेरो, कन्टेनराइड साइकिल रिक्शा, औटो रिक्शा, औटो टिपर।(गीले एवं सुखे करचे को अलग-अलग इकठ्ठा करने हेतु)

(xxiii) “शुष्क अपशिष्ट “ (**Dry waste**) से जैव-निम्नीकरण अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा-करकट से भिन्न अपशिष्ट अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट दाह्य अपशिष्ट और स्वास्थ्यकर नैपकिन और डायपर आदि अपशिष्ट भी हैं;

(xxiv) “क्षेपण स्थल (**Dump sites**) से जिसका स्वास्थ्यकर भूमिभरण के लिए सिद्धांतों को पालन किए बिना ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग की गई कोई भूमि अभिप्रेत है;

(xxv) “विस्तारित उत्पादक दायित्व” से पैकेजिंग उत्पादों के जीवन काल के अंत तक पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन के लिए, पैकेजिंग उत्पादों जैसे प्लास्टिक, टिन, कांच ओर कॉरुगेटेड बक्सों इत्यादि के किसी उत्पादक के उत्तरदायित्व अभिप्रेत है।

(xxvi) “सुविधा” (**Facility**) से ऐसा कोई स्थापन अभिप्रेत है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रक्रियाएं अर्थात् पृथक्करण पुनः प्राप्ति, भंडारण, संग्रहण, पुनर्चक्रण, प्रसंस्करण, उपचार या सुरक्षित निपटान किया जाता है;

(xxvii) “जुर्माना “ (**Fine**) से इन नियमों तथा/अथवा उप-विधियों निर्देशों के अनुपालन के लिए उपविधियों के अधीन अपशिष्ट जनित्रों या अपशिष्ट प्रचालकों और निपटान सुविधाओं पर लगाए गए जुर्माना अभिप्रेत है;

(xxviii) “प्ररूप” (**Form**) से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 में उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(xxix) “प्रहस्तन” (**Handling**) के अंतर्गत ठोस अपशिष्टों की छंटाई, पृथक्करण, सामग्री की पुनःप्राप्ति, संग्रहण, गौण भंडारण, काटना, गट्ठा बनाना, दलन, लदाई, उतराई परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान से संबंधित सभी क्रियाकलाप भी हैं;

(xxx) “निष्क्रिय” (**Inerts**) से ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो जैव अपघटनीय, पुनःचक्रणीय या दाहा नहीं है, गली की सफाई तथा सतही नालियों से निकाली गई धूल तथा गाद भी है;

(xxxi) “भस्मीकरण” (**Incineration**) से उच्च तापमान पर अपशिष्ट सामग्रियों को तापीय रूप से निम्नीकृत करने के लिए ठोस अपशिष्ट का जलाना या दहन अंतर्बलित इंजीनियरीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(xxxii) “अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक” (**Informal waste collector**) के अंतर्गत व्यक्ति, संगम ऐसे या अपशिष्ट व्यापारी सम्मिलित है जो पुनर्चक्रणीय सामग्रियों की छंटाई, विक्रय और खरीद से अंतर्बलित है;

(xxxiii) “निक्षालितक” (**leachate**) से ऐसा द्रव अभिप्रेत है जो ठोस अपशिष्ट के माध्यम से या अन्य माध्यम से रिसता है जिसमें उसमें घुली हुई या निलंबित सामग्री का सत्व है;

(xxxiv) “सामग्री पुनप्राप्ति सुविधा (एमआरएफ)” (**Material recovery facility**) से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जहां गैर कंपोस्टीय ठोस अपशिष्ट को स्थानीय निकाय या नियम 2 में वर्णित कोई अन्य अस्तित्व या इसमें से किसी के द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या अभिकरण जो अपशिष्ट को प्रसंस्करण या निपटान के लिए उसे परिदान या देने के पूर्व इस प्रयोजन के लिए स्थानीय निकाय या नियम 2 में वर्णित अस्तित्व द्वारा नियोजित अपशिष्ट चुनने वाले अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ता या कोई अन्य नियोजित कार्यबल को प्राधिकृत अनौपचारिक सेक्टर द्वारा अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों से पृथक्करण, छंटाई या पुनर्चक्रण योग्य की पुनप्राप्ति की प्रसुविधा है;

(xxxv) “अजैविक निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट” (**Non-bio degradable waste**) से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर स्थायी यौगिक में निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है;

(xxxvi) “सुविधा का प्रचालक” (**Operator of a facility**) से ऐसा व्यक्ति या अस्तित्व अभिप्रेत है जो ऐसे ठोस अपशिष्ट के प्रहस्तन के लिए सुविधा का स्वामी है या प्रचालित करता है जिसके अंतर्गत स्थानीय निकाय और स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त कोई अन्य अस्तित्व या अभिकरण भी है;

(xxxvii) “प्राथमिक संग्रहण” (**primary collection**) से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को उसके उत्पादन के स्रोत जिसके अंतर्गत घर, दुकाने, कार्यालय और कोई अन्य गैर आवासीय परिसर भी है से या किसी संग्रहण बिंदु या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अवस्थान से संगृहीत करना, उठाना या हटाना अभिप्रेत है;

(xxxviii) “प्रसंस्करण” (**Processing**) से कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट को पुनः उपयोग पुनः चक्रित या नए उत्पादों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए हथालित करना अभिप्रेत है;

(xxxix) “पुनर्चक्रण” (**Recycling**) से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को अजैव निम्नीकृत नए पदार्थ या उत्पाद या नए उत्पादों को उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें मूल उत्पादों को समरूप किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा;

(xi) “पुनर्विकास” (**Redevelopment**) से जहां विद्यमान भवन और अन्य अवसंरचनाएं जीर्णोद्धार हो गई हैं वहां उसी स्थल पर पुरानी आवासीय या वाणिज्यिक भवनों का पुनर्निर्माण अभिप्रेत है;

(xlii) “कचरा व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ)” (**Refused derived fuel**) से ठोस अपशिष्ट, जैसे प्लास्टिक, काष्ठ, लुगदी या कार्बनिक अपशिष्ट, कलोरीनीकृत पदार्थों से भिन्न ठोस अपशिष्ट को सुखाकर कतरन, निर्जलीकरण और संहनन द्वारा गुटिका या रोएं के कप में उत्पादित बाह्य अपशिष्ट प्रभाजी से व्युत्पन्न ईंधन अभिप्रेत है;

(xliii) “अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट” (**Residual solid waste**) से और उसके अंतर्गत ऐसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जो पुनर्चक्रण या अतिरिक्त प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं हैं से प्राप्त अपशिष्ट और अस्वीकृत भी अभिप्रेत है;

(xliv) रॉयल्टी (**Royalty**) - से स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत रॉयल्टी राशि जो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा/भूमिभरण पर ठोस अपशिष्ट के निपटान के ग्राही या प्रचालक द्वारा सबन्धित निकाय को दी जाएगी।

(xlv) “स्वास्थ्यकर भूमिभरण” (**Sanitary Land filling**) से अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट के अंतिम और सुरक्षित निपटान और भूजल सतही जल या क्षणभंगुर वायु धूल, हवा से जुड़ा हुआ कूड़ाकरकट दुर्गंध अग्नि परिसंकट पशुओं का खतरा पक्षियों को खतरा नाशकजीव, कृतकनाशी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सतत जैव प्रदूषणकारी तत्व प्रावण्य अस्थिरता तथा अपरदन के प्रदूषण के प्रति संरक्षात्मक उपायों सहित प्रकल्पित सुविधा में भूमि पर निष्क्रिय अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(Xlv) “स्वास्थ्यकर अपशिष्ट” (**Sanitary waste**) से प्रयोग किए गए डायपर, स्वास्थ्यकर तौलिया या नैपकिन टैम्पोन, इनकंटीनेंस शीट और कोई अन्य समरूप अपशिष्ट से मिलकर बना अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(xlvii) “अनुसूची” (**Schedule**) से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 की उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(xlviii) “गौण भंडारण” (**Secondary Storage**) से प्रसंस्करण या निपटान सुविधा को अपशिष्ट के आगे परिवहन के लिए गौण भंडारण डिपो या एमआरएफ या आधानों पर संग्रहण के पश्चात ठोस अपशिष्ट का अस्थायी संदूषक अभिप्रेत है;

(xlviii) “पृथक्करण” (**Segregation**) से ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों अर्थात् जैविक निम्नीकरण अपशिष्ट जिसके अंतर्गत कृषि और दुग्धपालन अपशिष्ट अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट जिसके अंतर्गत पुनः चक्रणयोग्य अपशिष्ट, गैर पुनः चक्रणयोग्य बाह्य योग्य अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और गैर चक्रण योग्य कूड़ाकरकट अपशिष्ट, घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट तथा संनिमार्ण और विध्वंस अपशिष्ट भी हैं की छंटाई और पृथक् भंडारण अभिप्रेत है;

(xlix) “सेवा प्रदाता” (**Service provider**) से जल मलवहन विद्युत, टेलीफोन, सड़क, जल निकास आदि अभिप्रेत है;

(1). “ठोस अपशिष्ट (**Solid waste**) से ठोस या अर्द्धठोस घरेलू अपशिष्ट अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण और नियम 2 में वर्णित अन्य अस्तित्व के अधीन क्षेत्र में उत्पन्न स्वास्थ्यकर अपशिष्ट वाणिज्यिक अपशिष्ट, सांस्थनिक अपशिष्ट खानपान और बाजार अपशिष्ट तथा अन्य गैर-आवासीय अपशिष्ट, गली की सफाई सतह नालियों से हटाई गई या एकत्रित गाद, उद्यान

कृषि अपशिष्ट कृषि और डेयरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट और ई अपशिष्ट बैटरी अपशिष्ट, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट भी अभिप्रेत है;

(1i) “छंटाई करना” (**Sorting**) से मिश्रित अपशिष्ट पुनः चक्रणयोग्य विभिन्न संघटनों और प्रवर्गों जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कांच आदि को समुचित पुनःचक्रण सुविधा में पृथक करना अभिप्रेत है;

(1ii). “स्थिरीकरण” (**stabilising**) से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को जैवीय अपघटन को स्थायी अवस्था में परिवर्तित करना अभिप्रेत है जहां वह निक्षालन या अरुचिकर सुगंध उत्पन्न नहीं करता है और कृषि भूमि, भू-कटाव नियंत्रण तथा भूमि उपचार के लिए उपयुक्त है;

(1iii) “मार्गविक्रेता” (**Street vendor**) से किसी गली, लेन, पार्श्व पथ, पैदल पथ, खंडजा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूमकर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, सौदा खाद्य मद या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में लगे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत फेरीवाला पैकार आबादकर तथा ऐसी सभी अन्य समानार्थी पद जो स्थानीय या विनिष्ट क्षेत्र में हो सकते हैं, भी हैं और विक्रय शब्दों को उनके व्याकरणक रूप भेदों और सजातीय पदों का अर्थ तदनुकूल किया जाएगा।

(1iv). “टिपिंग फीस” (**Tipping Fee**) से स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राज्य अभिकरण द्वारा कोई फीस या समर्थन मूल्य अभिप्रेत है जो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के ग्राही या प्रचालक या भूमिभरण पर ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए अवधारित संदात्त है।

(1v) “अंतरण स्थल” (**Transfer station**) से संग्रह क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने को सृजित सुविधा और अपशिष्ट प्रसंस्करण और, या निपटान सुविधा को आच्छादित यानों या आधानों में बड़ी मात्रा में परिवहन अभिप्रेत है;

(1vi) “परिवहन” (**Transportation**) से ठोस अपशिष्ट चाहे वह या तो उपचारित आंशिक उपचारित या अनुपचारित को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पर्यावरणीय रूप से युक्ति युक्त रीति में विशिष्ट रूप से अभिहित और आच्छादित परिवहन प्रणाली जैसे दुर्गंध, कूड़ा कचरा और घृणित दशा को रोकने के लिए परिवहन अभिप्रेत है;

(1vii) “उपचार” (**Treatment**) से किसी अपशिष्ट के भौतिक रसायनिक या जैविक लक्षणों या संघटन में रूपांतरण की अभिहित पद्धति तकनीक या प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे उसके आयतन और क्षितिकारक क्षमता को कम करता है;

(1viii) “उपयोक्ता फीस” (**User fee**) से ठोस अपशिष्ट संग्रहण परिवहन प्रसंस्करण और निपटान सेवाओं को उपलब्ध कराने की कुल या आंशिक लागत को प्राप्ति करने में अपशिष्ट जनित पर स्थानीय निकाय और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के नियम 2 में वर्णित किसी संस्था द्वारा अधिरोपित फीस अभिप्रेत है;

(1ix) “कृमि कम्पोस्ट बनाना” (**vermi composting**) से केचुओं का प्रयोग करते हुए कम्पोस्ट में सपरिवर्तित करने की जैव निम्नीकरण प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(1x) “अपशिष्ट जनित्र” (**Waste generator**) से और इसके अंतर्गत सम्मिलित से रेल तथा रक्षा स्थापनाओं सहित प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या प्रत्येक आवासीय परिसर तथा गैर आवासीय स्थापनाएं भी हैं, जो ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, अभिप्रेत है;

(Ixi) “अपशिष्ट की क्रमबद्धता” (**Waste hierarchy**) से ऐसा प्राथमिकता क्रम अभिप्रेत है जिसके अनुसार ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन निवारण कटौती, पुनःउपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः प्राप्ति और निपटान पर बल देकर किया जाना चाहिए जिसमें निवारण को सर्वाधिक प्राथमिकता और भू-भरण में निपटान को न्यूनतम वरीयता का विकल्प होगा;

(Ixii) “अपशिष्ट चुनने वाला” (**Waste pickers**) से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो अपशिष्ट उत्पादन से

(Ixi) स्रोत से पुनः उपयोजनीय तथा पुनर्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और साथ ही पुनर्चक्रकों को उनकी आजीविका अर्जित करने के लिए सीधे या उनके मध्यवर्तियों के माध्यम से विक्रय के लिए गलियों, डिब्बों प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं से अपशिष्ट को उठाने में औपचारिक रूप से लगे हुए हैं;

(2) इसमें प्रयुक्त जिन शब्दों और पदों का अर्थ परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 वायु (जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो संबंधित अधिनियमों व नियमों में हैं।

4. विभागों के कर्तव्य:- (i) स्वायत्त शासन विभाग:- स्थानीय निकायों के आयुक्त/अधिषाशी अधिकारी के माध्यम से निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे;

(क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में पर्यावरण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य नीति लागू कराई जाएगी;

(ख) सभी स्थानीय निकायों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में अपशिष्ट चुनने वालों या अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश देना;

(ग) सभी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 तथा उपविधियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना;

(घ) राज्य और स्थानीय निकायों की नगर नियोजन शाखा (Town planning cell) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ परामर्श करके 5 टन प्रतिदिन से अधिक के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के लिए बफर जोन अधिसूचित करने हेतु निकायों को निर्देशित करना;

(ङ.) लागत भागीदारी आधार पर क्षेत्रीय सुविधा से 50 कि.मी. (या अधिक) की दूरी के अन्तर्गत आने वाले शहरों के समूह के साझा क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर भूमिकरण (Common Regional Sanitary land fill) की स्थापना को सुकर बनाना और ऐसे स्वास्थ्यकर भूमिकरणों के वृत्तिक प्रबंधन हेतु निकायों को निर्देशित करना;

(च) ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण (Capacity building) तथा स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण एवं परिवहन या प्रसंस्करण की व्यवस्था करना;

(छ) अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट के व्यापारियों के पंजीकरण के संबंध में नगरीय निकायों को निर्देशित करना।

(ii) नगरीय विकास विभाग (नगर नियोजन विभाग):-

(क) नगर नियोजन विभाग मास्टर प्लान (भू-उपयोग मानचित्र) में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करेगा। स्थानीय निकायों की नगर नियोजन शाखा (Town

Planning cell) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान कर जिला कलेक्टर से आवंटन सुनिश्चित किए जाने हेतु कार्यवाही की जावेगी। इस हेतु संबन्धित नगरीय निकाय भूमि का विवरण, क्षेत्रफल व स्थल चिन्हित कर विवरण नगर नियोजन कार्यालय को उपलब्ध करवागी।

(ख) शहरी योजना विभाग (Town planning) यह सुनिश्चित करेगा, कि 200 से अधिक आवास वाले या 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के प्लॉट वाली ग्रुप हाउसिंग या वाणिज्यिक, सांस्थानिक या अन्य गैर-आवासीय परिसर के लिए विकास योजना में ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भंडारण, विकेंद्रित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया जावे।

(ग) नगर नियोजन विभाग (Town planning) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी व एकीकृत भवन विनियम में आवश्यक प्रावधानों की सुनिश्चिता की जावेगी।

(iii) उद्योग विभाग.- औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष आर्थिक जोन (Special Economic Zone) औद्योगिक पार्क (Industrial Estate) के विकासकों को निर्देश देना कि प्लॉट के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 5 प्रतिशत प्लॉट या शैड वसूली या पुनर्चक्रण सुविधा के लिए आरक्षित करें।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों का पृथक्करण .- (i) समस्त निवासियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने स्थानों से उपसर्जित नगरीय ठोस अपशिष्टों के उदगम स्थल पर ही पृथक-पृथक सूखा व गीला कचरा उपर्युक्त ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार ही निर्धारित समय पर उनको डोर टू डोर संग्रहण की उपलब्ध करवाई गई सेवा को मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा ताकि आम सड़कों, मार्गों पर निगम द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गन्दगी कूड़ा-करकट नहीं फैले अन्यथा केरिंग चार्ज वसूल किया जावेगा। पुनरावृत्ति पर न्यायालय में नियमानुसार अभियोग दायर किया जा सकेगा;

(ii) नगरीय निकाय द्वारा समय-समय पर नागरिकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु नगर निगम स्थानीय सेनिटेशन वेलफेयर, ऐसासियेशन, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, नगरीय निकाय से अनुबंधित सफाई के संविदाकारों तथा नागरिकगणों को समझाने एवं कचरा पृथक्करण कर भण्डारित करने व विधिवत परिवहन कराने के लिए प्रोत्साहित करने को अधिकृत होगा;

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों को भण्डारण :- राज्य के सभी नगरीय निकाय अपने स्तर पर अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये क्षेत्रीय संविदाकारों के माध्यम से ठोस अपशिष्टों के भण्डारण सुविधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण ऐसी रीति से करेगा जिससे कि इसके आस-पास अस्वास्थ्यकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न हो। भण्डारण सुविधाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करते समय निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखा जायेगा :-

(i). निर्दिष्ट क्षेत्र में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुए भण्डारण सुविधाओं का सृजन और स्थापना की जायेगी परन्तु दो भण्डारण सुविधाओं में न्यूनतम दूरी 500 मीटर की होगी और 01 किलोमीटर की परिधि में अधिकतम 05 से ज्यादा भण्डारण की सुविधा नहीं हागी। भण्डारण सुविधा कन्टेनर के रूप में ऐसे स्थान पर ही होगी जहां प्रयोक्त पहुंच सकें;

(ii) नगर निगम /परिषद् /पालिका द्वारा अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भण्डारण सुविधा का डिजाइन ऐसा होगा जिससे कि इकट्ठा किया गया कूड़ा करकट वातावरण में

खुले रूप में न हो सौन्दर्यपरक रूप से प्रयोक्ता को स्वीकार्य हो एवं उसे कूड़ादान के भीतर ही अपना कचरा खाली करने के लिए प्रेरित करें;

(iii) नगर निगम/परिषद्/पालिका द्वारा निर्धारित कूड़ादान स्थलों पर पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नानुसार रंग के पृथक्-पृथक् कन्टेनर भी रखवाये जा सकते हैं -

(A) हरा - जैव निम्नीकरण अपशिष्टो हेतु।

(B) सफेद - पुनः चक्रणयोग्य अपशिष्टो हेतु।

(C) नीला/काला - अन्य साधारण अपशिष्टो हेतु।

इन कन्टेनरों से कूड़े/ अपशिष्टो को खाली करने और परिवहन के लिए सुगम प्रचालन डिजाईन के केरीयर वाहन, काम्पेक्टर उपयोग में लिये जायेंगे।

(iv) शहर में स्थित सभी कॉर्पोरेटिव सोसाईटिज, एसोसियेशन, आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व के उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कन्टेनरस जिसकी डिजाइन नगरीय निकाय से अनुमोदित हो, अपने परिसर में स्थापित करें ताकि वहां उत्सर्जित दैनिक कचरे का भली-भांति भण्डारण हो सके। जिन्हें नगरीय निकाय के वाहनों से समयबद्ध खाली करवाने हेतु वे नगरीय निकाय को देय यूजर चार्ज पर अनुबन्ध कर वाहनों की व्यवस्था करवा सकेंगे;

(v) नगर निगम/परिषद्/पालिका अन्य व्यवस्था (बीओटी/वीजीएफ) की व्यवस्था भी की जायेगी और इस व्यवस्था का सभी संस्थानों को नगरीय निकायों द्वारा अनुमोदित यूजर चार्ज देकर अपनाना होगा अन्यथा ऐसे ठोस अपशिष्ट फैलाने वालों से केरींग चार्ज मौके पर तत्काल वसूल किया जावेगा अथवा अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(vi) बूचडखानों, मांस-मछली बाजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट का जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है। प्रबन्ध इस प्रकार किया जायेगा, ताकि ऐसे अपशिष्टो को उपयोग में लाया जा सके और इनमें कोई संक्रामक बीमारियां नहीं फैले। इसको सुनिश्चित करने के लिए ऐसे व्यवसायियों को स्वतः अपने प्रबन्धन कर इनका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करना होगा अथवा नगरीय निकायो द्वारा डोर टू डोर ऐसे अपशिष्टो के संग्रहण, परिवहन व निस्तारण हेतु लागू योजना को अपनाकर इसकी पालना सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर केरींग चार्ज मौके पर वसूल किये जावेगें अथवा न्यायलय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(vii) जैव चिकित्सकीय, अपशिष्टो तथा औद्योगिक अपशिष्टो को नगरीय ठोस अपशिष्टो के साथ नहीं मिलाया जायेगा और ऐसे अपशिष्टो का संग्रहण जैव चिकित्सकीय ईकाइयों द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के प्रावधानों के अनुरूप किया जाकर इस प्रयोजन के लिए पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार प्रोसेसिंग किया जावेगा। जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के नियमानुसार निस्तारण हेतु कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधा $\frac{1}{4}$ CBWTF $\frac{1}{2}$ s पर देय निर्धारित शुल्क पर ऐसे

हानिकारक अपशिष्टों का निस्तारण कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट सुविधा ऑपरेटर द्वारा सुनिश्चित करना होगा। चिकित्सा विभाग एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जावेगी।

(viii) पालतु जानवरों द्वारा गन्दगी.- पालतु जानवरों द्वारा रोड़/सार्वजनिक स्थानों पर गन्दगी (Poop /litter/faecal matter) को पालतु जानवरों के मालिकों द्वारा निपटान करना होगा ऐसा नहीं करने पर जुर्माना/कैरिंग चार्ज वसूला जावेगा;

(ix) कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी कीचड पानी नाईट सोईल गोबर, मलमूल, दूषित जल अपने परिसर में इस प्रकार न तो एकत्रित रखेगा न सार्वजनिक मार्गों पर बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषित हो व जन स्वास्थ्य को हानि होने की सम्भावना रहे अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरुद्ध तत्काल कैरिंग चार्ज वसूल किया जावेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा;

(x) कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक पार्को इत्यादि में एकत्रित कर किसी प्रकार का प्रदूषण गन्दगी फैलाते हुऐ पाया जाता है तो दण्डनीय उपराध होगा और उससे कैरिंग चार्ज भी वसूला जायेगा;

7. नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण - नगरीय निकाय क्षेत्र में ठोस अपशिष्टों या कूड़ा करकट फैलाना प्रतिषेध होगा। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों मार्गों, निजी खुले स्थलों, पार्को, पानी के स्त्रोंतो इत्यादि पर गन्दगी कूड़ा-करकट फैलाते व रखते पाया गया तो नगरीय निकाय के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं हो, संलग्न "अनुसूची-अ" में घोषित/समय-समय पर नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित, उपयोग राशि (User Charges) ऐसे दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने के लिए सक्षम होगा। घरो/व्यवसायिक युनिटों को जारी रसीद मात्र फाइन/जुर्माना/उपयोग राशि (User Charges) वसूली का दस्तावेज है इसका अन्यत्र उपयोग नहीं होगा

नगरीय निकाय द्वारा इस हेतु :-

(i) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 की पालना मे घर-घर से कचरा एकत्रित करने के लिये "निगम/परिषद/पालिका के सभी क्षेत्रो/एरिया/वार्डों में समुचित संसाधन लगाकर सुनिश्चित की जावेगी अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहन में गीले एवं सुखे कचरे हेतु अलग-अलग कम्पाटमेन्ट होंगे जिनमें घरों में रखे घरे डिब्बे का गीला कचरा तथा नीले डिब्बे का सूखा कचरा पृथक्-पृथक् इक्कट्टा कर परिवहन किया जावेगा। किसी भी स्थिति में गीले एवं सूखे कचरे को मिश्रित होने से रोकना होगा;

(ii) घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु क्षेत्र में निश्चित समय का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जावेगा। सामान्यतः समय प्रातः 7.00 से 11.00 बजे तक निर्धारित किया जावेगा। किन्तु विशेष सफाई के प्रयोजनार्थ स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित समय की पालना सुनिश्चित की जावे। प्रत्येक कचरा संग्रहण कार्यकर्ता उपकरण /वाहन पर घंटी/भोंपू (जिसकी आवाज अनुज्ञेय मानदण्ड से अधिक

ना हो) भी लगाया जावे ताकि कचरा संग्रहण के समय इसे बजाकर निवासियों को सूचित किया जा सके;

(iii) व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों से कचरा संग्रहण हेतु सामान्यतः समय प्रातः 9.00 से 12.00 बजे तक रखा जावेगा।

(iv) घर-घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर-घर से कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार उपयोग राशि (User Charges) निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	उपभोक्ता की श्रेणी	सहयोग राशि (उपभोक्ता द्वारा) प्रतिमाह नगर निगम क्षेत्र/प्रतिमाह	नगर परिषद क्षेत्र/प्रतिमाह	नगरपालिका क्षेत्र/प्रतिमाह
1.	50 वर्गमीटर क्षेत्र. तक के मकान	20/- रुपये	15/-रुपये	10/-रुपये
2	50 व.मी. से अधिक व 300 क्षेत्र. व.मी. तक के मकान	80/- रुपये	50/-रुपये	40/-रुपये
3.	300 व.मी. से अधिक क्षेत्र. के मकान	150/- रुपये	100/-रुपये	50/-रुपये
4.	व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, खानपान के स्थान (ढाबा/मिठाई की दुकान/ कॉफी हाउस इत्यादि)	250/-रुपये	200/-रुपये	150/-रुपये
5.	गेस्ट हाउस,	750/-रुपये	500/-रुपये	250/-रुपये
6.	छात्रावास Hostal सरकारी	500/-रुपये	400/- रुपये	250/- रुपये
7.	छात्रावास Hostal निजी	1000/-रुपये	750/- रुपये	500/- रुपये
8.	रेस्टोरेन्ट (Unstar)	750/-रुपये	500/- रुपये	300/- रुपये
9.	होटल रेस्टोरेन्ट (Unstar)	1000/-रुपये	750/- रुपये	500/- रुपये
10.	होटल रेस्टोरेन्ट (3 Star तक)	1500/-रुपये	1000/- रुपये	800/- रुपये
11.	होटल रेस्टोरेन्ट (3 Star से अधिक)	3000/-रुपये	2000/- रुपये	1500/- रुपये

12.	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, निजी के अलावा कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि	700/- रुपये	500/- रुपये	250/- रुपये
13.	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान (सरकारी) इत्यादि	700/- रुपये	500/- रुपये	250/- रुपये
14.	निजी शैक्षणिक संस्थान	1000/- रुपये	750/- रुपये	500/- रुपये
15.	निजी कोचिंग संस्थान	5000/- रुपये	3000/- रुपये	2000/- रुपये
16.	निजी कोचिंग क्लासेस,	1000/- रुपये	750/- रुपये	500/- रुपये
17.	क्लीनिक	1000/- रुपये	750/- रुपये	500/- रुपये
18.	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज (50 बेड तक)	2000/- रुपये	1500/- रुपये	1000/- रुपये
19.	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज (50 बेड से अधिक)	4000/- रुपये	3000/- रुपये	2500/- रुपये
20.	लघु व कुटीर उद्योग वर्कशाप (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ट 10 कि.ग्रा. प्रतिदिन	750/- रुपये	500/- रुपये	400/- रुपये
21.	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर	1500/- रुपये	1000/- रुपये	800/- रुपये

	खतरनाक) अवशिष्ट			
22.	शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी एवं मेला 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक	2000/- रुपये	1500/- रुपये	1000/- रुपये
23.	शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी एवं मेला 3000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल	5000/- रुपये	4000/- रुपये	3000/- रुपये
24.	अन्य, जो ऊपर चिन्हित नहीं हैं।			

नगरीय निकाय के आकलन के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर उक्त दरों में वृद्धि कर सकेगी।

(V) घर-घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु उक्तानुसार निर्धारित शुल्क प्रत्येक घर से वार्ड/क्षेत्र की अधिकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा ही वसूल किया जावेगा। उक्त दरो का संस्था/व्यक्ति द्वारा उचित रीति से प्रचार-प्रसार किया जावेगा एवं दरो को पर भी प्रदर्शित किया जावेगा। अधिकृत संस्था/व्यक्ति को उपकरणों/वाहनों पर संस्था/व्यक्ति का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना होगा। उपकरणों /वाहनों में जी.पी.एस सिस्टम लगाना होगा जिसके द्वारा की गई कार्य की मॉनिटरिंग की जावेगी;

(VI) संस्था/व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में साप्ताहिक रिपोर्ट संबंधित नगर निगम/परिषद्/पालिका के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि को प्रस्तुत करनी होगी।

(VII) होटल/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय परिसरों तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित झुग्गी झोपडी तथा इधर-उधर फैले क्षेत्रों/बस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण करने हेतु व्यवस्था की जावेगी। इन संस्थानों से उत्सर्जित बायो डिग्रेडेबल सबस्टेन्स के उद्गम स्थल से बन्द वाहनों में एकत्रित कर, बन्द वाहनों से परिवहन कर नियमानुसार इनके अन्तिम निस्तारण स्थल पर ले जाया जायेगा।

(VIII) इन कन्टेनर के अपशिष्ट को मानव द्वारा उठाई धराई किया जाना प्रतिबद्ध करना आदि किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कर्मकार की सुरक्षा को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुये समुचित पूर्ण सावधानी के अधीन मानव द्वारा उठाई धराई की जा सकेगी।

(IX) किसी भी व्यक्ति द्वारा जनसुविधा के लिए नगर निगम/परिषद्/पालिका द्वारा सडको/मार्गों इत्यादि पर अपशिष्टों का भण्डारण हेतु उपलब्ध करवाये गये लीटरबिन्स, कन्टेनर के भीतर कचरा न डालकर जानबूझकर कचरा बाहर फैलाना निषेध होगा व ऐसे पाये जाने पर मौके पर ही केरिंग चार्ज वसूल किया जावेगा।

(ग) नगरीय निकाय कन्टेनर्स रहित व्यवस्था भी कर सकेगी लेकिन ऐसे संस्थानों पर कचरा उठाने की बारम्बारता अधिक सुनिश्चित करनी होगी ताकि कचरा सडको पर पड़ा नहीं रहे।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों का परिवहन.- अपशिष्टों का परिवहन करने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन (कवर्ड व्हीकल) ऊपर से भली-भांति ढके हुए होंगे ताकि अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई दे सके और न ही यातायात के दौरान अपशिष्ट मार्गों पर बिखर सके तथा इसके लिये निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जायेगा।

(i) स्थापित भण्डारक सुविधाओं से प्रतिदिन कूड़ा-कचरा साफ किया जायेगा। कूड़ादान के साथ-साथ आसपास का क्षेत्र भी साफ सुथरा रखा जायेगा।

(ii) परिवहन वाहनों का डिजाईन ऐसा होगा जिससे कि अपशिष्ट की अन्तिम व्ययन करने के पूर्व बार-बार की जाने वाली उठाई धराई से बचा जा सकें।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण.- नगरीय निकाय द्वारा नगर निगम/परिषद्/पालिका क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्वीकृति प्राप्त कर विधिवत आवंटित अथवा प्राप्त स्थलों पर स्वीकृत समुचित तकनीकी अथवा ऐसी विविध तकनिको/नयी तकनीकी को अपनाते हुये जिससे कि भूमि भरण पर भार कम किया जा सके के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 की अनुसूची II के अनुसार किया जावेगा;

सूखे कचरे को पृथक्-पृथक् करने का स्थान/मेटेरियल रिकवरी फेसेलिटी का स्थान चिन्हित कर वहां पर शॉरटिंग स्टेशन प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर सैंड इत्यादि का निर्माण कर रेगपिक्स/प्राधिकृत रिसाईकल्स/अन्य एजेंसी के माध्यम से पृथक् कर रिसाईक्लेबल एवं अन्य कचरे को अलग-अलग करवाकर रिसाईकल नहीं होने वाले कचरे को डिस्पॉजल साईट पर तथा सूखे कचरे को सीमेन्ट प्लान्ट को आरडीएफ पॉलिसी के अनुसार एमओयू कर दिया जावेगा तथा रिसाक्लीग कचरे को रेगपिक्स/प्राधिकृत रिसाईकल्स/अन्य एजेंसी को निति निर्धारित कर बाईबैक ¼Buyback½ की व्यवस्था की जा सकती है ;

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों का व्ययन :- भूमिभरण में जैव अनिम्नोकरणीय निष्क्रिय अपशिष्ट अथवा अन्य ऐसे अपशिष्ट को जो न तो पुनःचक्रण अथवा न ही जैविक संसाधन के लिए समुचित है निर्वधित रखा जावेगा। भूमिभरण अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्रसंस्करण पूर्व छोड़े गये अपशिष्ट से भी बचा जायेगा जब तक उसे अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिये उपयुक्त न पाया जाये। अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा वैकल्पिक सुविधाये स्थापित किये जाने तक नगर निगम/परिषद्/पालिका अपने लैण्डफिल साईट पर निर्धारित मानदण्डों को अपनाते हुए भूमिकरण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप कर सकेगा। लेण्डफिल साईट का डिजाईन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम की अनुसूची प् के अनुसार करना होगा। नगर निगम/परिषद्/पालिका को लेण्डफिल साईट पर जाने वाले कचरे का प्रत्येक माह का रिकॉर्ड रखना होगा तथा यह सूचना निगम निकाय के वेबसाईट/कार्यालय में उपलब्ध रहेगी;

11. औचक निरीक्षण : निगम/परिषद्/पालिका अधिकृत अधिकारी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु अपनाई जा रही कार्य प्रणाली का औचक निरीक्षण कर सकेंगा। नियमों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नहीं होने की स्थिति में कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी;

12. अभियोजन/शास्तियां :- नगरीय निकाय के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की उपविधियां, 2019 के उपरोक्त किसी भी उपविधि की पालना नहीं करने अथवा उसका उल्लंघन करने पर नगरीय निकाय द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत अभियोजन किया जा सकेगा तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 पर तत्धीन निर्मित नियमों के अनुसार अभियोजन स्वीकृति के

लिए पर्यावरण विभाग को सिफारिश कर सकेगा। साथ ही नियम उपनियम समिति ऐसे कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए अपनी अनुशंसा भी सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा जिन्होंने कैरिंग चार्ज वसूल करने में कोई अनियमितता अथवा लापरवाही बरती हो।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी एवं कर्मचारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 के खण्ड (ZF) के अन्तर्गत अनुसूची-“अ” में निर्धारित जुर्माना मौके पर वसूल कर सकेगा।

13. निरसन और व्यावृत्तियाः-

(1) इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् जयपुर नगर निगम के ठोस (अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन) उपविधियाँ, 2005, नगरीय निकाय के ठोस (अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन) उपविधियाँ 2015 तथा इस संबंध में अन्य नगर निगम/परिषद/पालिका में इसी प्रकार की इस विषय से संबंधित किसी भी नाम से प्रवृत्त उपविधियाँ इसके द्वारा निरस्त की जाती हैं।

(2) इन उपविधियों के प्रवर्तन आने से पूर्व में प्रवृत्त उपविधियों के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नहीं समझा जायेगा। वशर्त की ऐसा कार्य इन उपविधियों के विपरीत न हो।

(3) ऐसा निरसन इस प्रकार निश्चित उपविधियों के अधीन की गई किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, दी गई किसी शक्ति, समपरव या किये गये किसी अन्वेषण या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची - अ”

उपविधियों के उल्लंघन में किए गए कृत्यों के लिए निम्नांकित निर्धारित मौके पर जुर्माना वसूली योग्य

क्र.सं.	कृत्य	नगर निगम	नगर परिषद	नगर पालिका
1.	रहवासीय भवनों के निवासियों द्वारा रोड/गली में कचरा फैलाने (Littering) पर	100 रुपये प्रतिदिन।	75 रुपये प्रतिदिन	50 रुपये प्रतिदिन
2.	दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर	1000 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन	250 रुपये प्रतिदिन
3.	रेस्टोरेन्ट मालिकों खुला कचरा डालने	2000 रुपये प्रतिदिन	1000 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन
4.	होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर	2000 रुपये प्रतिदिन	1000 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन
5.	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर	5000 रुपये प्रतिदिन	2500 रुपये प्रतिदिन	1500 रुपये प्रतिदिन
6.	हलवाई, चाट, पकोड़ी, फास्ट फूड आइसक्रीम गन्ने का रस एवं अन्य ज्यूस सब्जी एवं फ्रूट	100 रुपये प्रतिदिन	75 रुपये प्रतिदिन	50 रुपये प्रतिदिन

	आदि ठेला व्यवसायियों पर			
7.सार्वजनिक स्थानों/रोड/गली में गंदगी (Littering) करने पर				
	(i) थूकने पर	200 रुपये एक बार	100 रुपये एक बार	50 रुपये एक बार
	(ii) खुले में नहाने पर	300 रुपये एक बार	100 रुपये एक बार	50 रुपये एक बार
	(iii) खुले में पेशाब करने पर	200 रुपये एक बार	100 रुपये एक बार	50 रुपये एक बार
	(iv) खुले में शौच करने पर	500 रुपये एक बार	200 रुपये एक बार	100 रुपये एक बार
	(v) गोबर डालने पर	5000 रुपये एक बार	2500 रुपये एक बार	1500 रुपये एक बार
8.कचरे के पृथक्कीकरण (segregation) भण्डारण (storage) delivery एवं इक्कठा (Collection) करने में उल्लघन पर				
	(i)घरो द्वारा कचरे को कचरापात्र में इक्कठा नहीं किये जाने पर	200 रुपये प्रतिदिन	100 रुपये प्रतिदिन	50 रुपये प्रतिदिन
	(ii) बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा कचरे को कचरापात्र में इक्कठा नहीं किये जाने पर	1000 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन	300 रुपये प्रतिदिन
	(iii) बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा जनित्र बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को उनके परिसर में उपचारित (¼Treatment/self composting½) नहीं किये जाने पर	5000 रु प्रतिदिन	3000 रु प्रतिदिन	2000 रु प्रतिदिन
	(iv) बायो डिग्रेडेबल कचरे को पृथक से नहीं देने पर	200 रुपये प्रतिदिन	100 रुपये प्रतिदिन	50 रुपये प्रतिदिन
	(v) 100 व्यक्तियों से अधिक का आयोजन पर आयोजक द्वारा उक्त स्थान पर उत्पन्न कचरे को पृथक कर अपशिष्ट संग्रहणकर्ता को नहीं सोपने पर	3000 रुपये प्रति आयोजन	2000 रुपये प्रति आयोजन	1000 रुपये प्रति आयोजन

	(vi) सूखे कचरे को पृथक से नहीं देने पर	200 रुपये प्रतिदिन	100 रुपये प्रतिदिन	50 रुपये प्रतिदिन
	(viii) गार्डन वेस्ट/पेड़ों की छाटाई के वेस्ट को नहीं देने पर	200 रुपये प्रतिदिन	100 रुपये प्रतिदिन	50 रुपये प्रतिदिन
	(ix) कचरा जलाने पर	500 रुपये प्रतिदिन	200 रुपये प्रतिदिन	100 रुपये प्रतिदिन
	(x)दुकानदारों Vendor/hawker को बिना कचरापात्र के पाये जाने पर	750 रुपये प्रतिदिन	300 रुपये प्रतिदिन	150रुपये प्रतिदिन
	(xi)पालतू जानवरों के मालिकों द्वारा पालतु जानवरों से कचरा फेलाने व खुले में शौच कराने पर	1000 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन	300 रुपये प्रतिदिन
9.	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर	1000 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन	250 रुपये प्रतिदिन
10.	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	1000 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन	250 रुपये प्रतिदिन
11.	सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहर चार दीवारी की दीवारों व उनके गेटो पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारों ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये	2000 रुपये प्रतिदिन	1500 रुपये प्रतिदिन	1000 रुपये प्रतिदिन

	व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)			
12.	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर	5000 रुपये प्रतिफिट	2500 रुपये प्रतिफिट	1500 रुपये प्रतिफिट
13.	अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सडक पर करने पर	5000 रुपये प्रतिदिन	2500 रुपये प्रतिदिन	1500 रुपये प्रतिदिन
14.	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	5000 रुपये प्रतिदिन	2500 रुपये प्रतिदिन	1500 रुपये प्रतिदिन
15.	क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसायों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखनेके लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र गीला एवं सूखा कचरे को अलग-अलग रखने हेतु आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	2000 रुपये प्रतिदिन	1500 रुपये प्रतिदिन	1000 रुपये प्रतिदिन
16.	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायों द्वारा सडक पर बैठकर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग कर आयल मिटटी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	1000 रुपये प्रतिदिन	750 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन
17.	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गए जानवरों की हड्डियां, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सडक, आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	4000 रुपये प्रतिदिन	3000 रुपये प्रतिदिन	2000 रुपये प्रतिदिन

18.	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊँट, गधा, घोड़े, सुअर, इत्यादि पालतु जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	5000 रुपये प्रतिदिन	3000 रुपये प्रतिदिन	2000 रुपये प्रतिदिन
19.	विवाह स्थलों द्वारा बाहर कचरा डालने पर	5000 रुपये प्रतिदिन	3000 रुपये प्रतिदिन	2000 रुपये प्रतिदिन
20.	आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मांस-मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	3000 रुपये प्रतिदिन	2000 रुपये प्रतिदिन	1000 रुपये प्रतिदिन
21.	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	100 रुपये प्रतिदिन	75 रुपये प्रतिदिन	50 रुपये प्रतिदिन
22.	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	500 रुपये प्रतिदिन	250 रुपये प्रतिदिन	100 रुपये प्रतिदिन
23.	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	5000 रुपये प्रतिदिन।	3000 रुपये प्रतिदिन।	2000 रुपये प्रतिदिन।
24.	आमरास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	1000 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन	250 रुपये प्रतिदिन

25.	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्ता, सड़क व फुटपाथ पर गन्दगी फैलाने पर	3000 रुपये प्रतिदिन	2000 रुपये प्रतिदिन	1000 रुपये प्रतिदिन
26 कन्स्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन वेस्ट को पृथक से इकठ्ठा नहीं करने पर				
	(i) घरेलू उत्पादको से	500 रुपये प्रति डिफाल्ट	300 रुपये प्रति डिफाल्ट	200 रुपये प्रति डिफाल्ट
	(ii) अघरेलू उत्पादको से	5000 रुपये प्रति डिफाल्ट	3000 रुपये प्रति डिफाल्ट	2000 रुपये प्रति डिफाल्ट
27. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 4(6) की अनुपालना नहीं किये जाने पर				
	(i) रेजिडेन्स वेल्फेयर ऐशोसियेशन	10000 रुपये प्रतिमाह	7500 रुपये प्रतिमाह	5000 रुपये प्रतिमाह
	(ii) मार्केट ऐशोसियेशन	20000 रुपये प्रतिमाह	15000 रुपये प्रतिमाह	10000 रुपये प्रतिमाह
28. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 4(7) की अनुपालना नहीं किये जाने पर				
	(i) Gated Community	10000 रुपये प्रतिमाह	7500 रुपये प्रतिमाह	5000 रुपये प्रतिमाह
	(ii) Gated Institution	20000 रुपये प्रतिमाह	15000 रुपये प्रतिमाह	10000 रुपये प्रतिमाह
29. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 4(8) की अनुपालना नहीं किये जाने पर				
	(i) होटल	50000 रुपये प्रतिमाह	30000 रुपये प्रतिमाह	20000 रुपये प्रतिमाह
	(ii) रेस्टोरेंट	20000 रुपये प्रतिमाह	15000 रुपये प्रतिमाह	10000 रुपये प्रतिमाह

30. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 17(2) की अनुपालना सेनेटरी नेपकीन व डायपर्स के निर्माता/ब्रान्डधारी द्वारा अवहेलना करने पर				
	(i) डिस्पोजेबल मेटेरियल को वापस ग्रहण करने की व्यवस्था नहीं करने पर	50000 रुपये प्रतिमाह	30000 रुपये प्रतिमाह	20000 रुपये प्रतिमाह
	(ii) निर्माता/ब्रान्डधारी अपने उत्पादों के साथ प्रत्येक नेपकीन या डायपर्स के निस्तारण के लिए एक पाउच/रेपर उपलब्ध नहीं कराने पर	50000 रुपये प्रतिमाह	30000 रुपये प्रतिमाह	20000 रुपये प्रतिमाह
31.	संस्थान/व्यावसायिक प्रतिष्ठान (शैक्षणिक संस्थान, ऑफिस, होटल, दुकान, रेस्टोरेन्ट, मिठाई दुकान, ढाबा, मन्दिर, औद्योगिक प्रतिष्ठान, मेरिज हॉल, मेरिज गार्डन, बेम्बेट हॉल इत्यादि द्वारा प्लास्टिक कचरे को बाहर फेकने पर	5000 रुपये प्रतिदिन।	3000 रुपये प्रतिदिन।	2000 रुपये प्रतिदिन।
32.	व्यक्तियों/घरो तथा दुकानों द्वारा प्लास्टिक कचरे को बाहर फेकने पर	1000 रुपये प्रतिदिन।	750 रुपये प्रतिदिन।	500 रुपये प्रतिदिन।
33	प्लास्टिक कचरा जलाने पर	500 रुपये प्रतिदिन	200 रुपये प्रतिदिन	100 रुपये प्रतिदिन
34.	प्लास्टिक कैरी बेग को उपयोग करते पाये जाने पर	100 रुपये प्रतिदिन	75 रुपये प्रतिदिन	50 रुपये प्रतिदिन

राज्यपाल की आज्ञा से,
पवन अरोड़ा,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।